| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज<br>**छोटा देवी बनाम लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार पीपाड़ शहर)**<br>सू.अ.अपील संख्या 68/2024 | न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 31-07-24 | अपीलार्थी छोटा देवी निवासी ग्राम जालखा, पोस्ट सिलारी, वाया भावी तहसील पीपाड शहर ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 15/02/2024 में पीएम किसान पोर्टल पर किसान सम्मान निधि हेतु आवेदन किया गया था जो जिला स्तर से इस कारण से रद्द किया गया की भूमि रिकार्ड की प्रति अपलोड नही की गई, इस संबंध में बिन्दुसख्या 1 में प्रार्थी द्वारा भूमि विवरण अपलोड करने हेतु कार्यालय में कितनी बार दस्तावेज जम से संबधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार पीपाड़ शहर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।<br><br>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. पक्ष (तहसीलदार पीपाड़ शहर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।<br><br>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो. पक्ष (तहसीलदार पीपाड़ शहर) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार पीपाड़ शहर) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।<br><br>(गौरव अग्रवाल)<br>जिला कलक्टर, जोधपुर-ग्रामीण<br>जिला कलक्टर जोधपुर (ग्रामीण) राज. | |